मु० नं० 07/16 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

किस्म मुकदमा-धारा ... तारीख 13-4-16

13-4-16 पत्रावली पेश हुई। वकील सायलान उपरा कार्यालय रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थनापत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर वकील सायलान को सुना गया। वकील सायल का बहस में कथन है कि आराजी खसरा नं० 15/2 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा ग्राम फिरोजपुर सायलान के खातेदारी व कब्जे काश्त की है। जिसमे गैरसायलान द्वारा सायलान की आराजी मे जबरन निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया है। जिससे सायलान के हक हकूको पर भारी आघात है और सायलान को अपूर्णीय क्षति व असुविधा है। गैरसायलान को सायलान की खातेदारी भूमि मे निर्माण करने का अधिकार नही है। अतः गैरसायलान को अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है।

बहस वकील सायलान का मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2070 से 2073 का अवलोकन किया गया जिसके समर्थन मे सायल ने अपना शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। उपरोक्त विवेचन व साक्ष्य दस्तावेज से प्रथम दृष्टया केस सायलान के पक्ष मे प्रतीत होता है।

अतः गैरसायलान को आगामी तारीख पेशी तक अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि आराजी ख०नं० 15/2 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा ग्राम-फिरोजपुर तह० मण्डरायल मे कोई निर्माण कार्य नही करे यथास्थिति बनाये रखे। प्रार्थनापत्र सायलान दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली वास्ते तलबी गैरसायलान दि० 18-5-2016 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डरायल (जिला-करौली)

18.5.16 पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प-नींदर पेश हुई। सायलान व गैरसायलान उपस्थित। उभय पक्षकारान राजीनामा हेतु तैयार नही। पत्रावली पुनः राजस्व लोक अदालत कैम्प-नींदर दिनांक 28-6-16 को पेश हो। जगदीश

उपखण्ड अधिकारी
मण्डरायल (जिला-करौली)

28.6.16 पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प नींदर पर पेश हुई पक्षकार...

संशोधित जवाब पेश करने हेतु दिनांक 3/5/17 को पेश हो।

3/5/17 पत्रावली पेश हुई। वकील फरीकैन उपस्थित। वकील गैरसायलान ने जवाब दर मय काउन्टर सी.आई. पेश किया। नकल वकील सायलान को दिलाई गई। P.O. साहब फैमिली मेले में व्यस्त है। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 3/5/17 को पेश हो।

3/5/17 पत्रावली पेश हुई। वकील फरीकैन उपस्थित। वकील सायलान ने जवाब काउन्टर T.I. पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। नकल वकील गैरसायलान को दी जावे। पत्रावली वास्ते बहस T.I. दिनांक 24/5/17 को पेश हो।

24/5 पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प अटल सेवा केन्द्र मौजूद पेश हुई। वकील फरीकैन उप०। पक्षकारान उपस्थित नहीं आने के कारण राजीनामा नहीं हो सका। पत्रावली वास्ते बहस T.I. दिनांक 30/6/17 को पेश हो।

30/6/17 पत्रावली पेश हुई। वकील फरीकैन उपस्थित। बहस प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। सायलान ने यह प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि आराजी ख.न. 15/2 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा ग्राम फिरोजपुर तह० मण्डरायल सायलान के खातेदारी व कब्जे काश्त की है जो पिता गंगाधर के समय की पुश्तैनी है। उक्त आराजी से गैरसायलान का कोई खातेदारी काबिजाना सम्बन्ध नहीं है। उक्त आराजी के उत्तर-पूर्व में गैरसायलान की भूमि लगी हुयी है। गैरसायलान ताकतवर पैसे वाले व्यक्ति है और ताकत के बल पर सायलान के खातेदारी भूमि को छीनना चाहते है और इसी उद्देश्य की पूर्ति में दिनांक 7/5/16 को सुबह 9 बजे उक्त आराजी में जबरन निर्माण कार्य करने के लिए मजदूर लगाकर व स्वयं गैरसायल न. 1 व 3 ने नींव खुदाई कार्य सायलान की भूमि में प्रारम्भ कर दिया तब सायलान ने गैरसायलान से निर्माण नहीं करने को कहा, तो गैरसायलान लाठी-डण्डा ले गये और सायलान से सैलानिया निर्माण कार्य करने एवं सायलान को कब्जा काश्त नहीं लेने देने की धमकी दी और ... सायलान ... को ... आमादा हो गये। तब

सायलान द्वारा पर ... दिनांक 7/5/16 को ... ने दौराने स्टे विवादित आराजी में दिनांक 7/5/16 को अचानक नीव खुदाई कार्य प्रारम्भ कर दिनांक 16/5/16 को एक पार्टेस पोश उक्त घर व एक दालाबंदी कुर्सी व एक सीमेंट की टंकी पानी की व दो छप्पर जबरन अवैध निर्माण करा लिये है। उक्त अवैध निर्माण गैरसायलान ने दौराने स्टे किया है; जो लिसपेन्डिस है और हक-हकूक सायलान पर प्रभावहीन व शून्य है। सायलान उक्त निर्माण को गैरसायलान के खर्चे से हटवाने के अधिकारी है। गैरसायलान की उक्त अनाधिकृत कार्यवाही से हक-हकूक सायलान पर भारी आघात है। सायलान को अपूर्णीय क्षति व भारी असुविधा है। इसलिए सायलान, गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी है। अन्त में प्रार्थना पत्र सायलान स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

गैरसायलान ने उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र मय काउन्टर प्रस्तुत कर कथन किया है कि विवादित आराजी पर सायलान का कोई कब्जा नहीं है मात्र पेपर एन्ट्री के आधार पर दावा एवं दर० पेश किये है। सायलान ने बनावटी तथ्यों को प्रार्थना पत्र में दर्ज किया है। दिनांक 7-5-16 को कोई किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं हुयी है ना ही कोई निर्माण कार्य सायलान व गैरसायलान में नहीं हुयी है। उक्त आराजीयात में सायलान के दादा कर रहे थे जबकि उक्त आराजीयात रिहायश गैरसायलान मय चकबंदी से पूर्व ही निर्मित मकानीयात रिहायश गैरसायलान मय दालाबन्दी भी दावा दायरी से पहिले के रिहायश कर रहे है। तथा एक सीमेन्ट टंकी भी करीब 5 वर्ष पूर्व की बनी हुयी है। तथा मवेशियों के लिए छप्पर पूर्व असों पूर्व से ही बनी हुयी है। तथा सायलान की भलीभांति जानकारी में है। के बने हुये है। जो सायलान की मिलीभगत से राजस्व कर्मियों से ख०नं० 15/2 की नक्शे में तरमीम लाल स्याही से कराकर ख०नं० 15/1 का रकबा 10 बीघा मिलाकर गलत कराये है। जबकि उक्त ख०नं० 15/1 का रकबा 10 बीघा 5 बिस्वा गैरसायलान की खातेदारी व कब्जे शरत की है जो 5 बिस्वा गैरसायलान के पिता कन्हैया को आवंटित हुयी थी, जो सायलान गैरसायलान के पिता कन्हैया को आवंटित हुयी थी, उक्त आराजी शामिल अपनी आराजी के आवंटन से पूर्व का है। उक्त आराजी से लगी हुई है। सायलान को कोई अपूर्णीय क्षति नहीं है। उक्त आराजीयात प्रार्थना पत्र सायलान खारिज किये जाने योग्य है। उक्त आराजी पूर्व विवादित पर काबिज रहकर काश्त करते रहे है। उक्त आराजी पूर्व में ऊबड़-खाबड़ थी, जिसको जिस्मानी मेहनत करके लाखों रुपये लगाकर काबिल काश्त गैरसायलान ने बनाया है। ... पेपर एन्ट्री व गलत तरमीम की आड में -

गैरसायलान को बेदखल करने पर उतारू है। तथा गैरसायलान ने बेदखल करने की धमकी भी दे चुके हैं इसलिए गैरसायलान, सायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी है कि गैरसायलान को सायलान जबरन बेदखल नहीं करें। अन्त में प्रार्थना पत्र सायलान खारिज किये जाने एवं काउन्टर टी.आई. गैरसायलान स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

बहस वकील फरीकैन की सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील सायलान व वकील गैरसायलान ने प्रार्थनापत्र व जवाब प्रार्थना पत्र मय काउन्टर T.I. व जवाब काउन्टर T.I. के तथ्यों को ही दोहराया। वकील सायलान ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने तथा वकील गैरसायलान ने प्रार्थनापत्र सायलान खारिज कर काउन्टर प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

बहस वकील फरीकैन का मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत 2070 से 73 का अवलोकन किया गया जिसमें विवादित आराजी ख.नं. 15/2 रकबा 1 बीघा 05 बिस्वा ग्राम-फिरोजपुर सायलान के खातेदारी में अंकित है जिससे प्रथम दृष्टया केस सायलान के पक्ष में प्रतीत होता है एवं अपूर्णीय क्षति व सुविधा का संतुलन अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने के लिए सायलान के पक्ष में राजस्व रिकार्ड जमाबंदी से है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र सायलान स्वीकार किये जाने व काउन्टर T.I. गैरसायलान खारिज किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र सायलान विरुद्ध गैरसायलान स्वीकार किया जाता है। गैरसायलान को फैसला वादपत्र अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह विवादित आराजी ख.नं. 15/2 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा ग्राम-फिरोजपुर त० मण्डरायल में कोई निर्माण कार्य नहीं करें ना ही किसी अन्य से करावे। सायलान के कब्जे काश्त में दखल नहीं करें। काउन्टर T.I. गैरसायलान खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल दावा के साथ संलग्न हो। निर्णय लिखाया जाकर सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डरायल (करौली)